प्रस्तावना
राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों
का राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रांतीय स्तर पर पहला आयोग 1930 में स्थापित मद्रास सेवा आयोग था जिसकी स्थापना मद्रास विधायिका के 1929 अधिनियम के तहत की गई थी । भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान है । तदनुसार, 1935 अधिनियम के तहत सात लोक सेवा आयोग 1937 में स्थापित किए गए, असम प्रांत के लिए (शिलांग में), बंगाल (कलकत्ता में), बम्बई तथा सिंध केन्द्रीय प्रांतों के लिए (बम्बई में), बिहार तथा उड़िसा (रांची में), मद्रास (मद्रास में), पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम (लाहौर में) तथा संयुक्त प्रांत (इलाहाबाद में) ।

2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 से 321 आयोग की स्थापना तथा संरचना के साथ-साथ उनके परामर्शी कार्यों को भी निर्धारित करता है ।

3. संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के मध्य औपचारिक संबंध के बिना दोनों के लिए अलग-अलग लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है । समान हित के क्षेत्रों में सूचना तथा विचारों के विनियम हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के सहयोग से समय-समय पर राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है । राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी 29 राज्य लोक सेवा आयोग भाग लेते हैं ।

4. लोक सेवा आयोगों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 1949 में आयोजित किया गया । तब से समय-समय पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है । 1999 में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष बने । उसके बाद बारह (12) सम्मेलन आयोजित किए गए । 18वां सम्मेलन हैदराबाद, तेलंगाना में 4 तथा 5 फरवरी, 2016 को आयोजित किया गया ।

5. राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से, पिछले कुछ वर्षों में राज्य लोक सेवा आयोगों के मध्य भर्ती के तरीकों, कर्मियों की नीतियों, परीक्षाओं के संचालन आदि से संबंधित मामलों पर एक दृढ़ संबंध विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है । इस प्रकार की बैठकें बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश पर परिचर्चा करने के लिए एक उपयुक्त मंच भी प्रदान करती हैं और जनसाधारण की अपेक्षाओं तथा संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप आयोगों की कार्य-शैली में परिणामिक बदलाव भी लाए जा सकते हैं ।